

शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र  
दिनांक - 18-09-2020 वर्ग - BA-II

## FERA और FEMA में अन्तर

सन् 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) [Foreign Exchange Regulation Act] पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का संप्रयोग सुनिश्चित करना था, लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधा बन गया था इस कारण दिसम्बर 1999 में FEMA (Foreign Exchange Management Act) प्रस्तावित किया गया था। तथा राष्ट्रपति के अनुमति के बाद 1999 में FEMA प्रभाव में आ गया।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा बहुत ही लभित मात्रा में होती थी। इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी। सन् 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम पारित किया गया, जिसका

मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का लुप्तप्रेत  
सुमिश्रित काल था लेकिन यह कानून  
देश के विकास में बाधक बन गया  
था। इस कारण सन 1997-98 के बजट  
में सरकार ने फेर-1973 के स्थान पर  
फेरा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम)  
का लाने का प्रस्ताव रखा था। दिसम्बर  
1999 में संसद के दोनों सदनो द्वारा फेरा  
पास किया गया था। राष्ट्रपति के अनु-  
मोदन के बाद 1 जन 2000 को फेरा फेरा  
प्रभाव में आ गया था।

\* फेरा क्या है ?

फेरा कानून का मुख्य  
कार्य विदेशी मुद्राओं पर नियंत्रण लगाना,  
पूँजी बजार में कालेजिन बैंड बनाना  
विदेशी मुद्रा का आयात और निर्यात पर  
नियंत्रण रखना और विदेशियों द्वारा अल्प  
सम्पत्तियों के खरीद को नियंत्रित करना था।

इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश की विदेशी पूंजी बाजार बहुत ही खराब हालत में था। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण तथा अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था।

→ फेमा क्या है ?

फेमा (FEMA) का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है। इसके अलावा FEMA का लक्ष्य देश में विदेशी मुद्राओं और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के खराब और व्यापार को जटिलाहित करना है।

FEMA भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर सम्पत्ति को खरीद सकता है, मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक भी किसी और को दे सकता है।

FERA और FEMA में निम्नलिखित अन्तर है —

- 1) फेरा को संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी जबकि फेमा को संसद ने 1999 में मंजूरी दी।
- 2) FERA वर्तमान में लागू नहीं परन्तु FEMA वर्तमान में लागू है।
- 3) FERA में अनुभागों की संख्या 81 है। जबकि FEMA में अनुभागों (sections) की संख्या 49 है।
- 4) ~~FERA~~ इस भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सुदुपयोग करने के लिए बनाया गया था परन्तु FEMA का उद्देश्य विदेशी व्यापार और विदेशी

भुगतान को बढ़ावा देना है और देश में विदेशी मुद्रा भण्डार को बढ़ाना है।

5) FERA के अन्तर्गत भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो। जबकि FEMA में भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो।

6) <sup>(FERA)</sup> ~~सम~~ अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था जबकि FEMA में अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

7) FERA के अन्तर्गत इंडीया पासे जाने पर हीफे लाजा का प्रावधान था। परन्तु FEMA के अन्तर्गत इंडीया पासे जाने पर सजा तभी होगी जबकि व्यक्ति नोस्ट्रि की तिथि से 90 दिन के भीतर निष्पत्ति अर्थात् जमा न करे।

8) ~~कि~~ FERA के तहत मुकदमा दर्ज होता है। अनुरोध को भी माना जाता था और उसे ही यह स्वीकार करना होता था कि वह दोषी नहीं है। जबकि FEMA के तहत किसी गुनाह के संबंध में सबूत देने का बोझ आरोपी पर नहीं बल्कि बतिक प्रमाण लागू करने वाले अधिकारी पर होता है।